dkjiksjsV vfHk'kklu fjiksVZ ¼2017&18½

कारपोरेट अभिशासन पर सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों के अनुसार नेशनल फर्टिलाइजर्स (एनएफएल) में कारपोरेट अभिशासन प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के व्यौरे निम्नानुसार हैं:

1- dkjiksjsV vfHk'kklu lfgrk ij dEiuh dh /kkj.kk

कारपोरेट अभिशासन सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों का एक सैट है जिनका कंपनी द्वारा अन्य स्टेकहोल्डर्ज के हितों को ध्यान में रखते हुये शेयरधारियों की निधि में वृद्धि करने के लिये अनुसरण किया जाता है। सरकार, ग्राहक, आपूर्तिकारों, कर्मचारियों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्ज के साथ सभी प्रकार के लेन–देन करने में ईमानदारी, पारदर्शिता और कानूनों का अनुपालन करना अच्छे कारपोरेट अभिशासन के उद्देश्य हैं।

एनएफएल में वर्षों से अभिशासन प्रक्रियाओं और प्रणालियों को मजबूत बनाया गया है। सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के अलावा, पारदर्शिता, प्रकटन, आंतरिक नियंत्रण और आचार नीति को प्रोत्साहित करने के लिये प्रभावी अभिशासन पद्धतियों और प्रक्रियाओं पर बल दिया गया है।

कंपनी का मानना है कि योग्य अभिशासन एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में उच्चतम मानकों का अनुसरण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया जाता है। कंपनी इस उद्देश्य के साथ कारपोरेट अभिशासन की अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा करती है कि न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का पूरी निष्ठा से अनुपालन किया जाये बल्कि कारपोरेट अभिशासन की उत्कृष्ट पद्धतियों का लगातार कार्यान्वयन भी किया जाये।

कारपोरेट अभिशासन पर कंपनी के सिद्धांत में अपने प्रचालनों तथा अपने स्टेकहोल्डर्ज के साथ परस्पर बातचीत के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता के उच्चतम स्तर प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। कंपनी इस संबंध में उच्चतम मानकों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिये प्रतिबद्ध है।

कंपनी उत्कृष्ट अभिशासन पद्धतियों के लिये प्रतिबद्ध है जो लम्बे समय तक टिकाऊ शेयरहोल्डर्ज वैल्यु का सृजन करती है। अभिशासन ढांचा निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित होता है:–

- निदेशक मण्डल का गठन जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त हो।
- बोर्ड तथा इसकी समितियों को समय पर सूचना देना।
- जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की एक ठोस प्रणाली।
- सभी स्टेकहोल्डर्ज को सभी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर देना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही।
- सभी लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करना।

पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने अपनी अभिशासन प्रथाओं को सुदृढ किया है। ये प्रथाएं व्यवसाय संचालन तथा मूल्य उत्पत्ति के तरीकों को परिभाषित करती हैं। व्यावसाय संबंधी निर्णय करने से पहले स्टेकहोल्डर्ज के हितों को ध्यान में रखा जाता है।

कंपनी ने एक आंतरिक अभिशासन संरचना लागू की है जिसमें सिस्टम के प्रत्येक घटक की भूमिका एवं जिम्मेदारी को परिभाषित किया गया है। निदेशक मंडल ने अपनी जिम्मेदिरयों को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से निभाने के लिये विभिन्न कमेटियों का गठन किया है। कंपनी की नीतियों को समग्र रूप से लागू करने के लिये अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक जिम्मेदार हैं। कंपनी के कामकाज में पूर्ण–कालिक निदेशक तथ वरिष्ठ स्तर के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सहयोग देते हैं।

कंपनी, अपने स्टेकहोल्डर्ज के साथ डील करते समय निष्ठा, पारदर्शिता, स्वाधीनता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये नैतिक मानकों का पालन करती है। कंपनी ने अपने कारोबार को नैतिक एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिये कई संहिताएं एवं नीतियॉ अपनाई हैं। कुछ संहिताएं एवं नीतियॉ निम्नानुसार हैं:

- निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिये आचार संहिता
- स्वतंत्र निदशकों की नियुक्तित की शर्तें।
- कंपनी की सिक्युरिटीज से डील करते समय इनसाइटर ट्रेडिंग के निषेध के लिये आंतरिक प्रक्रियाओं और आचरण की संहिता।
- कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति
- स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण नीति

- जोखिम प्रबंधन नीति
- व्हिसल ब्लोअर नीति
- सत्यनिष्ठा सन्धि
- निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिये प्रशिक्षण नीति
- संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति
- अभिलेखीय नीति
- दस्तावेजों के संरक्षण पर कारपोरेट नीति
- मैटीरियल सबसिडायरी के लिये नीति
- बोर्ड विविधता पर नीति
- व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति
- स्टॉक ऐक्सचेंजों को घटनाओं की सूचना देने के लिये मैटीरियलटी की नीति
- लाभांश वितरण नीति
- धोखाधडी विरोधी नीति

2- fun'kd eMy

2-1 fun'kd eMy dk vkdkj

कंपनी अधिनियम, 2013 के सैक्शन 2(45) के अर्थ में, एक सरकारी कंपनी है क्योंकि कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 74.71 प्रतिशत हिस्सा भारत के राष्ट्रपति के पास है। निदेशकों में पूर्णकालिक निदेशक, सरकारी नामांकक निदेशक (प्रवर्त्तक निदेशक) एवं स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। कंपनी के आर्टीकल ऑफ ऐसोसियेशन के अनुसार पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। अन्य निदेशक की नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा, आर्टिकल ऑफ ऐसोसियेशन के अनुसार निदेशक की संख्या तीन से कम तथा 12 से अधिक नहीं होगी।

2-2 fun'kd eMy dk xBu

31 मार्च, 2018 को निदेशक मंडल में 9 निदेशक थे जिनमें से तीन पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशक अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (तकनीकी) तथा निदेशक (वित्त), दो भारत सरकार द्वारा नामांकित तथा चार स्वतंत्र निदेशक थे। निदेशक का संक्षिप्त प्रोफाइल वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक–15 पर दिया गया है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एंव प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी (एलओडीआर)विनियम, 2015) में यह निर्धारित है कि जहां निदेशक मंडल का अध्यक्ष गैर–कार्यकारी निदेशक है, वहां कम से कम बोर्ड के एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहियें तथा यदि अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है तो बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहियें। वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक की पर्याप्त संख्या न होने के कारण बोर्ड की संरचना सेबी (एलओडीआर), 2015 के अनुसार नहीं थी, जैसा कि नीचे दिये गये ब्यौरे में दर्शाया गया है।

Øekd	vof/k		fun'kd eMy dk xBu		
	l	rd	d|y fun'kd	Lora= fun'kd	vU; fun'kd
01.	01.04.2017	17.05.2017	8	3	5
02.	18.05.2017	31.03.2018	9	4	5

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 द्वारा अपेक्षित है, कोई भी निदेशक बोर्ड की दस से अधिक समितियों का सदस्य अथवा पांच से अधिक समितियों, जिसका वह सदस्य है, का अध्यक्ष नहीं है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशक का कंपनी, इसके प्रवर्त्तकों अथवा प्रबंधन के साथ सिटिंग फीस प्राप्त करने के अलावा कोई अन्य मैटीरियल अथवा धन संबंधी ताल्लुक अथवा लेनदेन नहीं था जिससे कि निदेशक की निर्णय करने की स्वतंत्रता प्रभावित होती हो। कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक से यह घोषणा प्राप्त हुई है जिसमें पुष्टि की गई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 द्वारा निर्धारित स्वतंत्रता के मानदण्डों को पूरा करते हैं।

2-3 fun’kdk dk dk;dky

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशकों की सेवा–निवृत्ति की आयु सीमा साठ वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशकों को कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये या सेवा निवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार से प्राप्त आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो तक के लिये तथा कंपनी अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जाता है। तथापि, इस अवधि के दौरान भी किसी भी पक्ष द्वारा तीन माह का नोटिस देकर अथवा नोटिस के बदले तीन माह का वेतन देकर नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है। सरकार द्वारा नामित निदेशक, जो उर्वरक विभाग, भारत सरकार, का प्रतिनिधित्व करते हैं, उर्वरक विभाग, भारत सरकार के अधिकारीन रहने पर बोर्ड से सेवा–निवृत्त हो जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार की सिफारिश पर सामान्यतया तीन वर्ष के कार्यकाल के लिये नियुक्त किया जाता है।

2-4 fun’kd eMy l lcf/kr vU; fooj.k

कार्यकाल, निदेशकों द्वारा 31.03.2018 की स्थिति अनुसार धारित अन्य निदेशक पद/समितियों की सदस्यता की संख्या उदाहरणतः ऑडिट कमेटी तथा स्टेकहोल्डर्ज संबंध कमेटी तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक कमेटी, का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

Ø- l-	fun’kd ¼lo Jh½	J.kh	dk;dky		vU; fun’kd eMy@ lfefr;k e		
			l	rd	fun’kd	lnL;rk	v/;{k
01.	मनोज मिश्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	03.06.2015	निरंतर	2	-	-
02.	राजीव कुमार चन्दोक	कार्यकारी निदेशक	10.02.2015	निरंतर	1	-	-
03.	देवेन्द्र सिंह आहूजा	कार्यकारी निदेशक	06.02.2017	निरंतर	1	-	-
04.	धर्म पाल	गैर कार्यकारी निदेशक– सरकार द्वारा नामित	09.02.2016	निरंतर	3	-	-
05.	सुश्री भावनाबेन करदमभाई दवे	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	01.07.2016	निरंतर	-	-	-
06.	सुश्री मीनाक्षी गुप्ता	गैर कार्यकारी निदेशक– सरकार द्वारा नामित	11.01.2017	निरंतर	3	-	-
07.	सीए अनिल वर्मा	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	14.02.2017	निरंतर	-	-	-
08.	डा. रमेष कुमार अग्रवाल	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	14.02.2017	निरंतर	1	-	-
09.	डा. कल्पना सेनी	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	18.05.2017	निरंतर	-	-	-

सीएण्डएमडी–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईडी–कार्यकारी निदेशक, एनईडी– गैर–कार्यकारी निदेशक, एनईआईडी– गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक।

2-5 ftEenkfj;,

निदेशक मंडल कंपनी को कार्यनीतिक निर्देश उपलब्ध कराता है तथा उसका मूल्यांकन करता है। निदेशक मंडल के लिये औपचारिक विषयों की सूची होती है जिन पर विचार करके निर्णय किया जाता है जिनमें कारपोरेट परफारमैन्स, वित्तीय संसाधन, कार्यनीति निर्धारण, नीति एवं नियंत्रण, कारपोरेट योजना, संगठनात्मक ढांचा तथा शेयरधारियों को रिपोर्टिंग की समीक्षा करना शामिल है।

2-6 Lor= fun’kd

स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की बैठकों एवं ऑडिट कमेटी में विचार–विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने व्यापक अनुभव से प्रबंधन, अभिशासन, वित्त, लेखा–परीक्षा आदि के क्षेत्र में मदद करते हैं। स्वतंत्र निदेशक विशेष रूप से कार्यनीति, परफारमैन्स, जोखिम प्रबंधन, संसाधन, प्रमुख नियुक्तियों और आचरण संबंधी मानकों आदि के मुद्दों पर बोर्ड की गतिविधियों में स्वतंत्र निर्णय करते हैं।

2-7 fun’kd eMy dh cBd dk;lph ,o dk;oUk

कंपनी वर्ष में निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरीके से आयोजित करती है कि निदेशक मंडल की लगातार दो बैठकों के बीच का अंतर एक सौ बीस दिन से अधिक न हो। निदेशक मंडल की चार तय बैठकों के आयोजन के अलावा, विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त बैठकें भी बुलाई जाती हैं।

कंपनी में सभी विभाग निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने वाले मामलों के प्रति कंपनी सचिव को पहले से सूचना दे देते हैं। सामान्यतया बैठक से पहले कार्यसूची को निदेशक मंडल में प्रचालित किया जाता है। कार्यसूची में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं शामिल होती हैं ताकि बैठकों में अर्थपूर्ण और केंद्रित चर्चाएं की जा सकें।

निदेशक मंडल की बैठक की कार्यसूची और कार्यवृत्त तैयार करते समय कंपनी सचिव को कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है। निदेशक मंडल अपनी विभिन्न समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, जो संबंधित अध्यक्ष द्वारा विधिवत अनुमोदित होते हैं, को भी संज्ञान में लेता है।

निदेशक मंडल/कमेटी की बैठकों में किये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को कंपनी के संबंधित विभागों को शीघ्रता से सूचित किया जाता है। गत बैठकों के कार्यवृत्तों/निर्णयों पर की गई कारवाई रिपोर्ट निदेशक मंडल/कमेटी की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाती है।

2-8 funs'kd eMy dh vk;ksftr dh xbZ cSBdsa

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की निम्नलिखित ब्यौरे अनुसार आठ बैठकें हुईं:

Øekad	cSBd la[;k	cSBd dh rkjh[k
01.	416	18.05.2017
02.	417	11.07.2017
03.	418	10.08.2017
04.	419	05.09.2017
05.	420	26.09.2017
06.	421	10.11.2017
07.	422	31.01.2018
08.	423	28.03.2018

दो बैठकों के बीच न्यूनतम तथा अधिकतम अन्तराल क्रमशः 21 दिन तथा 81 दिन था।

2-9 funs'kd eMy dh cSBdksa rFkk okf"kZd vke lHkk esa mifLFkfr

वार्षिक आम सभा 27 सितम्बर, 2017 को आयोजित की गई थी। निदेशक मंडल की बैठकों तथा पिछली वार्षिक आम सभा में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

Øe- la-	funs'kd dk uke ¼loZ Jh½	Js.kh	2017&18 ds nkSjku vk;ksftr funs'kd eMy dh cSBdsa rFkk mifLFkfr		fiNyh okf"kZd vke lHkk esa mifLFkfr
			vk;ksftr	mifLFkfr	
01.	मनोज मिश्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	08	08	उपस्थित
02.	राजीव कुमार चन्दोक	कार्यपालक निदेशक	08	08	उपस्थित
03.	देवेन्द्र सिंह आहूजा	कार्यपालक निदेशक	08	07	उपस्थित
04.	सुश्री मीनाक्षी गुप्ता	गैर कार्यकारी निदेशक – सरकार द्वारा नामित	08	06	अनुपस्थित
05.	धर्म पाल	गैर कार्यकारी निदेशक – सरकार द्वारा नामित	08	03	अनुपस्थित
06.	सुश्री भावनाबेन करदम भाई दवे	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	08	08	उपस्थित
07.	सीए अनिल वर्मा	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	08	08	उपस्थित
08.	डा. रमेश कुमार अग्रवाल	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	08	05	उपस्थित
09.	डा कल्पना सैनी	गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	07	04	उपस्थित

ईडी–कार्यकारी निदेशक, एनईडी– गैर–कार्यकारी निदेशक, एनईआईडी– गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक।

2.10 निदेशक मंडल के समक्ष अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सूचना अनुसार सूचनाएं रखी जाती है:

निदेशक मंडल को कंपनी में उपलब्ध किसी भी सूचना को प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। निदेशक मंडल को नियमित तौर पर उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना में निम्नलिखित शामिल हैः

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अपडेट
- पूंजीगत बजट एवं कोई अपडेट
- कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम
- वार्षिक वित्तीय विवरण जिनमें समेकित वित्तीय विवरण, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, निदेशकों की रिपोर्ट आदि शामिल हैं।
- लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त
- कंपनी सचिव की नियुक्ति अथवा हटाए जाने सहित निदेशक मंडल स्तर से तत्काल नीचे के वरिष्ठ कार्यपालकों की भर्ती और पारिश्रमिक से संबंधित सूचना।
- प्रमुख पूंजीगत निवेश, संयुक्त उद्यमों का गठन, अनुसंधान एवं विकास परियोजना या तकनीकी सहयोग के करार।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनका प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण गतिविधि जैसे वेतन करार पर हस्ताक्षर, प्रोत्साहन योजनाएं, चिकित्सा सुविधाएं, स्वैच्छिक सेवाकृनिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक पद और समिति के पदों के बारे में घोषणा।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित सूचना तथा विभिन्न कानूनों के अनुपालन पर रिपोर्ट।
- अधिशेष निधियों का अल्पकालिक निवेश।
- उधार की स्थिति
- कोई संविदा(एं) जिनमें निदेशक(कों) का हित जुड़ा हो।
- बडे ठेके अवार्ड करना
- विभिन्न यूनिटों/कार्यों के निश्पादन पर रिपोर्ट
- विदेशी विनिमय लेनदेन सहित जोखिम के कारकों की समीक्षा
- अन्य महत्वपूर्ण ठोस सूचना
- ठोस तौर पर महत्वपूर्ण कारण बताओ नोटिस, अभियोग नोटिस और दण्ड नोटिस।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, अन्य महत्वपूर्ण बहिस्राव या प्रदूषण समस्याएं
- कंपनी के साथ और उसके द्वारा वित्तीय बाध्यताओं में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेची गई वस्तुओं के लिये पर्याप्त रूप से भुगतान न होना।
- सार्वजनिक अथवा उत्पाद की जिम्मेदारी के संभावित दावे से संबंधित कोई मुद्दा, जिसमें कोई ऐसा निर्णय या आदेश शामिल हो जिसमें कंपनी के आचरण की आलोचना की गई हो या किसी अन्य उद्यम के बारे में विपरीत मत प्रकट किया गया हो जिसका कंपनी पर नकरात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- लेनदेन जिसमें गुडवल, ब्राण्ड समानता या बौद्धिक संपत्ति के लिये पर्याप्त भुगतान निहित हो।
- महत्वपूर्ण प्रकृति के निवेश, संतोषजनक परिसंपत्तियों की बिक्री जो सामान्य व्यवसाय में नहीं आतीं।
- विदेशी मुद्रा जानकारी का तिमाही ब्यौरा तथा प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिकूल विनिमय दर संचलन के जोखिमकों को समिति करने के बारे में किये गये उपाय।
- किसी नियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन न करना और शेयरहोल्डर्ज सेवा जैसे लाभांश का भुगतान न होना, शेयर अंतरण में विलंब आदि
- कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति की समीक्षा
- स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता संबंधी घोषणा
- निवेशक शिकायतों की तिमाही स्थिति
- कारपोरेट अभिशासन मानकों के साथ तिमाही रिपोर्ट अनुपालन
- कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की समीक्षा
- स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण नीति की समीक्षा
- निदेशक मंडल द्वारा डिजाइन किये गये मामलों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

■ महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा प्रथाओं में बदलाव तथा उनके कारण

■ कोई अन्य अपेक्षित सूचना जिसे निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना हो

2-11 Lor= fun'kdk dh iFkd cBd

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एंव प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को वर्ष के दौरान एक बार अन्य निदेशकों की उपस्थिति के बिना बैठक करनी होती है। स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित पर चर्चा की जाती है:

1. गैर–स्वतंत्र निदेशक एवं पूरे निदेशक मंडल की परफारमैंस का मूल्यांकन।
2. कार्यकारी एवं गैर–कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुये कंपनी के अध्यक्ष की परफारमैंस का मूल्यांकन।
3. प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, विषय–वस्तु एवं समय–सीमा का मूल्यांकन करनाजो कि बोर्ड के लिये अपने कार्यों को प्रभावी और यथोचित रूप से अंजाम देने के लिये आवश्यक है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की दो बैठकें दिनांक 11.07.2017 तथा 28.03.2018 को हुईं।

2-12 fun'kdk d chp ijLij lc/kk dk çdVu

निदेशकों के बीच कोई संबंध रिपोर्ट नहीं किया गया।

2-13 'k;jk ,o ifjorZuh; bULVeVl dh l[;k

कंपनी द्वारा जारी कोई शेयर/परिवर्तनीय इन्स्ट्रूमैंट्स गैर–कार्यकारी निदेशकों के पास नहीं है।

2-14 Lor= fun'kdk dk dEiuh dh xfrfof/k;k l ifjfpr djokus d dk;Øek d ofcy;d dk fooj.k

निदेशकों को प्रशिक्षित करने की नीति के अन्तर्गत, निदेशकों द्वारा कार्यभार संभालने पर उन्हें कंपनी के कारोबार तथा अन्य गतिविधियों से परिचित करवाने के लिये कंपनी के ओवरव्यु पर प्रस्तुति दी जाती है। वर्ष के दौरान एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई थी और हमारे आप्रेशन्ज का एक ओवरव्यु देने के लिये और स्वतंत्र निदेशक को हमारे मूल्यों और प्रतिबद्धताओं से संबंधित मामलों से परिचित करवाने के लिये, उन्हें हमारे संगठन की संरचना, हमारी सेवाओं, गठन, बोर्ड प्रक्रियाओं, बोर्ड के लिये आरक्षित मामलों, हमारे प्रमुख जोखिमों तथा जोखिम प्रबंधन एवं रणनीति इत्यादि की जानकारी करवाई गई। तदानुसार परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण वैबसाइट www.nationalfertilizers.com पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अन्य कारपोरेट कानूनों और सेबी अपेक्षाओं की नवीनतम डवलेपमैंट से अवगत कराया जाता रहा।

2-15 fun'kd eMy dh fofof/krk ij uhfr

निदेशक मंडल की विविधता पर कंपनी ने एक नीति बनाई है जो कंपनी की वैबसाइट www.nationalfertilizers.com पर उपलब्ध है।

2-16 fun'kdk dh ijQkjel dk eY;kdu

कंपनी अधिनियम, 2013 के सैक्शन 134(3)(पी) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा अपनी स्वयं की तथा इसकी समितियों की और निदेशकों की अलग–अलग औपचारिक वार्षिक परफारमैंस किये जाने के तरीके पर एक वक्तव्य प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा होगा।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(10) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के सैक्षन 149(8) के अनसरण में स्वतंत्र निदेशकों की आचार संहिता द्वारा यह अपेक्षित है कि स्वतंत्र निदेशकों की परफारमैन्स का मूलयांकन किया जाये जिससे उन्हें जारी रखने या न रखने का निर्णय किया जा सके। तथापि, एमसीए ने अपनी अधिसूचना संख्या जीएसआर463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से छूट अधिसूचित की है जिसमें अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान किया गया है कि सैक्शन 178 के सब सैक्शन (2), (3) और (4), जो नियुक्ति, परफारमैंस के मूल्यांकन और पारिश्रमिक के बारे में है, सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होंगे।

एमसीए ने अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के द्वारा यह भी अधिसूचित किया है कि यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासकीय तौर पर कंपनी के प्रभारी मंत्रालय अथवा केन्द्र सरकार के विभाग द्वारा किया जाता है तो सरकारी कंपनियों के मामले में सैक्शन 134(3)(पी) लागू नहीं होगा।

एनएफएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशकों, अंशकालिक सरकारी निदेशकों तथा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा, निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें तथा कार्य की अवधि भी भारत सरकार द्वारा तय की जाती है और कार्यकारी निदेशकों तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की परफारमैन्स के मूल्यांकन के लिये प्रशासनिक मंत्रालय ने एक सुनियोजित प्रक्रिया बनाई हुई है।

सरकारी कंपनियॉ और उनके निदेशकों का निम्नलिखित अनुसार परफारमैन्स मूल्यांकन किया जाना है:

(i) सभी कार्यपालक निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से) और अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक निदेशक मंडल तथा प्रशासकीय मंत्रालय को जवाबदेह हैं।

(ii) कंपनी की परफारमैंस की निगरानी के लिये अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से कंपनी तथा मंत्रालय के सचिव के माध्यम से प्रशासकीय मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) क्रियान्वित किया जाता है। यह एमओयू लोक उद्यम विभाग, नीति आयोग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा प्रशासकीय मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तय किया जाता है। विभिन्न एमओयू मापदण्डों के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। एमओयू के अनुसार कंपनी की परफारमैंस निदेशक मंडल तथा निदेशकों की व्यक्तिगत परफारमैंस बताती है। प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा तिमाही समीक्षा बैठकों के माध्यम से कंपनी की परफारमैन्स की तिमाही समीक्षा की जाती है जहां विभिन्न प्रशासकीय मापदण्डों के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाती है।

(iii) लोक उद्यम विभाग भी एमओयू मापदण्डों पर कंपनी की परफारमैंस को रेटिंग देकर कंपनी की परफारमैंस का वार्षिक आकलन करता है। महा प्रबन्धकों, कार्यकारी निदेशकों, कार्यपालक निदेशकों तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की परफारमैंस का मूल्यांकन करते समय एमओयू रेटिंग को अधिक महत्व दिया जाता है। कार्यपालक निदेशकों के परिवर्तनीय वेतन एमओयू के संदर्भ में कंपनी की परफारमैंस के आधार पर नियंत्रित किये जाते हैं।

(iv) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों की वार्षिक परफारमैंस की समीक्षा प्रशासकीय मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है और संबंधित मंत्री द्वारा स्वीकार की जाती है।

(v) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों का कार्यकाल भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा परफारमैंस की समीक्षा पर उनके कार्यकाल में बढोतरी की जा सकती है।

(vi) सभी सरकारी कंपनियॉ अलग–अलग विशयों पर विभिन्न संसदीय समितियों द्वारा समीक्षा के अध्याधीन हैं।

उपर्युक्त को देखते हुये और यह कि परफारमैंस मूल्यांकन तंत्र पहले ही कार्यरत है, अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशकों तथा अंशकालिक सरकारी निदेशकों की परफारमैंस का मूल्यांकन नहीं किया गया।

3- funs'kd eMy dh lfefr;k

निदेशक मंडल कंपनी की कार्यनीति दिशा, प्रबंधन नीतियों एवं उनकी प्रभाविकता का मूल्यांकन करके यह सुनिश्चित करता है कि स्टेक होल्डर्ज के दीर्घकालिक हितों का ध्यान रखा गया है। निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की निम्नलिखित अनिवार्य समितियों का गठन किया हैः

i. ऑडिट कमेटी

ii. स्टेकहोल्डर्ज सम्बन्ध समिति,

iii. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति,

iv. कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं टिकाऊ विकास समिति

निदेशक मंडल की समितियों के कार्य क्षेत्र तथा अन्य विवरण निम्नानुसार हैं: .

3-1 v,fMV deVh

कंपनी का प्रयास रहता है कि ऑडिट कमेटी का गठन, कोरम, कार्यक्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013 के सैक्शन 177, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप हो। ऑडिट कमेटी के कार्यक्षेत्र में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैः

1) कंपनी (सूचीबद्ध कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं तथा वित्तीय सूचनाओं के प्रकटन पर निगरानी रखना जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं।
2) सूचीबद्ध कंपनियों के लेखा–परीक्षकों के पारिश्रमिक की सिफारिश करना।
3) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा के लिये भुगतान का अनुमोदन।
4) वार्षिक वित्तीय विवरण तथा उन पर लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट को निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ, विशेषतया निम्न संदर्भ में, समीक्षा करनाः
   - क. कंपनी अधिनियम, 2013 के सैक्शन 134 के सब सैक्शन (3) की धारा (प) के अनुसार वे मुद्दे जिन्हें निदेशकों की रिपोर्ट में निदेशकों के उत्तरदायित्व वक्तव्य में शामिल किया जाना है;
   - ख. लेखांकन नीतियों तथा प्रक्रियाओं में बदलाव तथा उनके कारण, यदि कोई हों;
   - ग. प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियॉ जिनके अनुमान प्रबंधन के विवेक पर आधारित हैं;
   - घ. लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष के आधार पर वित्तीय विवरणों में किये गये महत्वपूर्ण समायोजन;
   - ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण एवं अन्य कानीनी अपेक्षाओं का अनुपालन
   - च. संबंधित पार्टी लेनदेन का खुलासा;
   - छ. ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित मत;
5) निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा;
6) इशु (पब्लिक इशु, राइट इशु, प्रेफरैन्शियल इशु इत्यादि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण/प्रायोज्यता, ऑफर डाकूमैंट/प्रोसपैक्टस/नोटिस में लिखे गये प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग की गई निधियों का विवरण,

पब्लिक या राइट इशु से प्राप्त राशि के उपयोग पर निगरानी रखने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना तथा इस मुद्दे पर आवश्यक कदम उठाने के लिये निदेशक मंडल को उपयुकत सिफारिश करना;

7) लेखा परीक्षकों के स्वतंत्र कार्य–निष्पादन एवं लेखा परीक्षा की प्रभाविकता की निगरानी एवं समीक्षा करना;
8) सूचीबद्ध कंपनी का संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन अथवा अनुवर्ती संशोधन;
9) इन्टर–कारपोरेट ऋणों एवं निवेशों की जांच;
10) सूचीबद्ध कंपनी के दायित्वों अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां आवश्यक हो;
11) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन
12) प्रबंधन के साथ सांविधिक तथा आन्तरिक लेखा परीक्षकों की परफारमैंस तथा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता की समीक्षा करना;
13) आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारियों की स्थिति तथा विभाग प्रमुख की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा की आवृति शामिल है;
14) महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई;
15) यदि आंतरिक लेखा परीक्षकों की आंतरिक जांच द्वारा कोई ठोस प्रकृति की संदिग्ध धोखाधड़ी अथवा अनियमितता अथवा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता पाई जाती है तो इसकी समीक्षा करना तथा ऐसे मामलों को निदेशक मंडल को रिपोर्ट;
16) लेखा–परीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में लेखा परीक्षा आरम्भ होने से पहले तथा चिंतित करने वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिये लेखा परीक्षा के बाद सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार–विमर्श करना;
17) जमाकर्ताओं, डिबैन्चर धारकों, शेयरधारियों (घोशित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) तथा लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर गौर करना;
18) व्हिसल ब्लोअर तंत्र की कार्यशीलता की समीक्षा;
19) उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा पृष्ठभूमि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन करना;
20) ऑडिट कमेटी के अधिकार–क्षेत्र में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को अंजाम देना।

l jpuk ,o cBdk e mifLFkfr

3-2 vkfMV desVh dh cBdk dk fooj.k

2017–18 के दौरान ऑडिट कमेटी की संरचना तथा बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार थीः–

(संख्या).)

Øekd	fun'kd dk uke ¼lo Jh½	LVVl	vof/k		2017&18 d nkjku cBd	
			l	rd	vk;kftr	mifLFkfr
01.	सीए अनिल वर्मा	अध्यक्ष	21.02.2017	जारी	08	08
02.	सुश्री भावनाबेन करदमभाई दवे	सदस्य	13.07.2016	जारी	08	08
03.	डा. रमेश कुमार अग्रवाल	सदस्य	21.02.2017	जारी	08	05
04.	देवेन्द्र आहूजा	सदस्य	21.02.2017	जारी	08	07
05.	डा. कल्पना सैनी	सदस्य	31.01.2018	जारी	05	04

आवश्यक समझे जाने पर सांविधिक लेखा परीक्षकों को ऑडिट कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाता है। जब लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं इससे संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है तो लागत लेखा परीक्षकों को भी इन बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। कारपोरेट वित्त प्रमुख, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख तथा अन्य कार्यपालक विभाग प्रमुखों को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

3-3 cBd

2017–18 के दौरान ऑडिट कमेटी की निम्न विवरण अनुसार 8 बैठकें:

Øe l-	cBd dh Øe l[;k	cBd dh rkjh[k
01.	109	18.05.2017
02.	110	11.07.2017
03.	111	10.08.2017
04.	112	26.09.2017
05.	113	10.11.2017
06.	114	31.01.2018
07.	115	14.02.2018
08.	116	28.03.2018

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा–परीक्षा समित के दो–तिहाई सदस्य स्वतंत्र होने चाहियें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में कम से कम तीन सदस्य होंगे और उनमें से दो–तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे।

3-4 LVkdgkYMt lc/k lfefr

स्टेकहोल्डर्ज रिलेशनशिप समिति के कार्यक्षेत्र में अन्य बातों के साथ–साथ निवेशकों की शिकायतों का समाधान करना, विशेषकर शेयरों के अंतरण/ट्रांसमिशन, लाभांश, डीमैटीरियलाइजेशन, गुम/चोरी हुये/क्षतिग्रस्त शेयर प्रमाण–पत्रों को बदलना, पृथकीकरण, रूपांतरण तथा अन्य संबंधित मुद्दे तथा निवेशकों के साथ परस्पर संबंधों को सुदृढ करना शामिल है।

3-4-1 ljpuk

वर्ष 2017–18 के दौरान कमेटी की संरचना निम्नानुसार थी: (संख्या)

Ø- l-	fun'kd dk uke ¼lo Jh½	LVVl	vof/k		2017&18 d nkjku cBd	
			l	rd	vk;kftr	mifLFkfr
01.	सीए अनिल वर्मा	अध्यक्ष	21.02.2017	जारी	02	02
02.	राजीव कुमार चन्दोक	सदस्य	10.02.2015	जारी	02	02
03.	देवेन्द्र सिंह आहूजा	सदस्य	21.02.2017	जारी	02	02

3-4-2 cBd

वर्ष 2017–18 में स्टेकहोल्डर्ज संबंध समिति की निम्नानुसार दो बैठकें हुईं और इनमें अध्यक्ष तथा सभी सदस्य उपस्थित थे:

Øekd	cBd dh Øe l[;k	cBd dh rkjh[k
01.	04	10.08.2017
02.	05	14.02.2018

3-4-3 vuikyu vf/kdkjh

श्री राज कुमार, कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी हैं और उन्हें शेयरधारियों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण तथा समिति को इसकी सूचना देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसका व्यौरा कंपनी की वैबसाइट www.nationalfertilizers.com पर भी उपलब्ध है।

3-4-4 f'kdk;rk ij l{ki e tkudkjh

31 मार्च, 2018 को निपटान के लिये कोई शिकायत लंबित नहीं थी। 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के दौरान शेयरधारियों से प्राप्त एवं समाधान की गई शिकायतों की संख्या का व्यौरा नीचे दिया गया है:

lekIr frekgh	çkIr f'kdk;r	lek/kku dh xbl f'kdk;r	yfcr f'kdk;r
30.06.2017	04	04	शून्य
30.09.2017	04	04	शून्य
31.12.2017	शून्य	शून्य	शून्य
31.03.2018	शून्य	शून्य	शून्य
dy	**08**	**08**	**NIL**

3-5 ukekdu ,o ikfjJfed lfefr

3-5-1 ljpuk ,o dk;l {k=

कंपनी के केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक उर्वरक विभाग, भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर निदेशक मंडल/समिति की बैठको में भाग लेने के लिये सिटंग शुल्क का भुगतान किया जाता है।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते एनएफएल को निदेशकों की शैक्षिक योग्यता, सकारात्मक गुण, निदेशकों के आकलन तथा उनका पारिश्रमिक आदि निर्धारित करने के लिये मापदंड बनाने से कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों से छूट प्राप्त है।

कर्मचारियों के पारिश्रमिक, जिसमें मूल वेतन, परिलब्धियॉं, परफारमैन्स प्रोत्साहन, सेवा–निवृत्ति लाभ शामिल होते हैं, को सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के ढांचे के अन्तर्गत कंपनी की पारिश्रमिक नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके कार्य–निष्पादन के लिये प्रोत्साहित करना, उनके योगदान को मान्यता देना, संगठन में गरिमा को बनाए रखना तथा श्रेष्ठता को पुरस्कृत करना है।

इसके अलावा, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक पारिश्रमिक समिति का गठन करना होता है जो वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय पे पूल तथा कार्यपालकों और गैर–यूनियनकृत पर्यवेक्षकों में उनके वितरण की नीति पर निर्णय लेती है। निदेशक मंडल ने एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

वर्ष 2017–18 तथा उसके बाद समिति की संरचना निम्नानुसार हैः

(संख्या)

Ø-l-	funs'kd dk uke ¼lo Jh½	LVsVl	vof/k		2017&18 ds nkSjku cSBdsa	
			ls	rd	vk;ksftr	mifLFkfr
01	डा. रमेश कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष	21.02.2017	जारी	01	01
02	मनोज मिश्रा	सदस्य	13.01.2016	जारी	01	01
03	सुश्री भावनाबेन करदमभाई दवे	सदस्य	13.07.2016	जारी	01	01
04	सीए अनिल वर्मा	सदस्य	21.02.2017	जारी	01	01
05	डा. कल्पना सैनी	सदस्य	31.01.2018	जारी	-	-

3-5-2 lfefr dh cSBdsa fuEufyf[kr frfFk;ksa dks vk;ksftr dh xbZ%

Øekad	cSBd dh Øe la[;k	cSBd dh rkjh[k
01.	06	26.09.2017

3-6 dkjiksjsV lkekftd nkf;Ro ,oa fVdkÅ fodkl ij lfefr

कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं टिकाऊ विकास पर समिति का गठन, कंपनी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं टिकाऊ विकास योजना को बनाने एवं उसके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिये किया गया है। समिति को स्थिरता एवं समावेशी अभिशासन संबंधी मामलों की देखरेख का अधिकार भी दिया गया है। समिति की प्रमुख जिम्मेदारी सामाजिक उत्तरदायित्वों को निपटाने के लिये निदेशक मंडल की सहायता करना है। समिति का गठन एवं अधिकार क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

3-6-1 lfefr dk xBu fuEukuqlkj gS

la[;k

Ø-l-	funs'kd dk uke ¼lo Jh½	LVsVl	vof/k	2017&18 ds nkSjku cSBds		
			ls	rd	vk;ksftr	mifLFkfr
01.	सुश्री भावनाबेन करदमभाई दवे	अध्यक्ष	21.02.2017	जारी	04	04
02.	डा. रमेश कुमार अग्रवाल	सदस्य	21.02.2017	जारी	04	03
03.	डा. कल्पना सैनी	सदस्य	31.01.2018	जारी	01	01
04.	राजीव कुमार चन्दोक	सदस्य	09.09.2015	जारी	04	04
05.	देवेन्द्र सिंह आहूजा सदस्य	सदस्य	21.02.2017	जारी	04	04

3-6-2 lfefr dh cSBdsa fuEufyf[kr frfFk;ksa dks vk;ksftr dh xbZa

Øekad	cSBd dh Øe la[;k	rkjh[ks
01.	13	11.07.2017
02.	14	10.11.2017
03.	15	31.01.2018
04.	16	28.03.2018

4- 2017&18 d nkjku fun'kdk dk Hkqxrku fd; x; ikfjJfed ,o flfVx Qhl dk fooj.k

4.1 dk;ikyd fun'kdk rFkk diuh lfpo dk ikfjJfed

(रुपय लाख में)

Øekd	fun'kd dk uke ¼lo Jh½	ifjyfC/k;k lfgr oru	lok&fuofÙk ykHk	dy
01.	मनोज मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	48.87	3.69	52.56
02.	राजीव कुमार चन्दोक, निदेशक (वित्त)	41.39	3.61	45.00
03.	देवेन्द्र सिंह आहूजा, निदेशक (तकनीकी)	40.52	3.24	43.76
04.	राज कुमार, कंपनी सचिव	25.50	2.31	27.81
	dy	**156.28**	**12.85**	**169.13**

*सेवा–निवृत्ति हितलाभों के एक्चयुरियल वैल्युएशन के लिये किये गये प्रावधान पारिश्रमिक में शामिल नहीं हैं।

4-2- Lor= fun'kdk dk flfVx Qh

गैर–कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और/या समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहने के लिये ₹15000/– की सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। 2017–18 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को दी गई सिटिंग फीस निम्नानुसार है:

(राशि रुपय में)

Ø-l-	Lor= fun'kd dk uke ¼lo Jh½	fun'kd eMy dh cBd	v,fMV deVh rFkk vU; fun'kd eMy dh vU; mi lfefr;k dh cBd	dy
01.	सुश्री भावनाबेन करदमभाई दवे	1,39,500.00	2,61,750.00	4,01,250.00
02.	सीए अनिल वर्मा	1,39,500.00	2,31,750.00	3,71,250.00
03.	डा. रमेश कुमार अग्रवाल	94,500.00	2,01,750.00	2,96,250.00
04.	डा. कल्पना सैनी	60,000.00	1,05,000.00	1,65,000.00
	dy	**4,33,500.00**	**8,00,250.00**	**12,33,750.00**

सरकार द्वारा नामित निदेशकों को सिटिंग फी का भुगतान नहीं किया जाता।

4-3 LV,d vkI'ku

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई स्टॉक आप्शन जारी नहीं किया।

4-4 deZpkfj;k dk tkjh 'k;j

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारियों को कोई शेयर जारी नहीं किये गये।

5. vke lHkk dh cBd

5.1 fiNyh rhu okf"kd vke lHkkvk dk fooj.k fuEu çdkj g%

lHkk ¼cBd½ dh çdkj	okf"kd vke lHkk dh rkjh[k	okf"kd vke lHkk dk le;	okf"kd vke lHkk dk LFkku	fo'k"k ldYi dk 0;kjk] ;fn dkb ikfjr fd;k x;k gk
		वर्ष 2014–15		
वार्षिक आम सभा	23.09.2015	10.30 प्रातः	व्हेट लिफिटंग हाल, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, नई दिल्ली।	-
		वर्ष 2015–16		
वार्षिक आम सभा	27.09.2016	10.30 प्रातः	व्हेट लिफिटंग हाल, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, नई दिल्ली।	-
		वर्ष 2016–17		
वार्षिक आम सभा	27.09.2017	10.30 प्रातः	एनसीयूआई ऑडीटोरियम व कनवैंशन सैंटर, 3, सीरी इन्स्टीच्युशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली –110016	-

6. Mkd er

कंपनी ने वर्ष 2017–18 के दौरान डाक मत द्वारा कोई कामकाज संपादित नहीं किया।

7. vlk/kkj.k vke lHkk

वर्ष के दौरान कोई असाधारण आम बैठक नहीं बुलाई गई।

8. vU; [kykl

8.1 Hkkfrd :i ls egRoi.k lcf/kr ikVh yunu ij [kykl

कंपनी द्वारा निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों और उनके संबंधियों के साथ, इन्ड एस–24 "संबंधित पार्टी खुलासे" के अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेन के अंतर्गत किये गये खुलासे, जिन्हें वार्षिक रिपोर्ट में सैट–आउट किया गया है, को छोडकर, मैटीरियल प्रकृति का कोई लेनदेन नहीं किया गया जिससे कंपनी के हितों के साथ टकराव पैदा होता हो।

8.2 tekuk vkfn dk fooj.k

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण अथवा पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले में कंपनी पर कोई जुर्माना/स्ट्रिक्चर नहीं लगाया गया। कंपनी पूंजी बाजार से संबंधित सेबी विनियमों तथा अन्य कानूनों का अनुपालन किया है।

8.3 lrdrk r=@f0gly Cykvj uhfr dk fooj.k

कंपनी व्यावसायिक डीलिंग में पारदर्शिता तथा औचित्य में विश्वास रखती है। इस उद्देश्य को आगे ले जाने के लिये कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है जिससे कर्मचारियों को तथा अन्य स्टेकहोल्डर्ज को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक और संदिग्ध धोखाधडी अथवा आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिये एक तंत्र उपलब्ध कराया जा सके। यह नीति उन कर्मचारियों के उत्पीडन के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है जो इस तंत्र का उपयोग करते हैं। वर्ष के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति तंत्र के तहत कोई खुलासा नहीं किया गया।

8.4 vfuok;l vi{kkvk d vuikyu dk fooj.k

कंपनी ने निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में कार्यपालक, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर सारी अनिवार्य अपेक्षाएं पूरी की हैं।

8.5 lcf/kr ikVh yunu uhfr

कंपनी की संबंधित पार्टी लेनदेन नीति www.nationalfertilizers.com. पर उपलब्ध है।

8.6 ^eSVhfj;yß lcflMk;jht r; djus dh fy;s uhfr

'मैटीरियल' सबसिडायरीज तय करने की नीति www.nationalfertilizers.com पर उपलब्ध है।

8.7 fons'kh eqæk tksf[ke vFkok dekfMVh eY; tksf[ke vkSj gSftax xfrfof/k;k¡

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान हैजिंग गतिविधियॉं/लेनदेन को कंपनी द्वारा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरूप किया गया है। मूल सिद्धान्त यह है कि जोखिम उतने तक सीमित होना चाहिये जो कंपनी सहन कर सकती है। इस आधार पर कंपनी के जोखिम की प्रवृति जो सामान्यतया अनहेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर की प्रतिशत नेट सम्पित्त के जोखिम की स्थिति से जुडी होती है की निगरानी हेतु गणना पूर्व निर्धारित स्टाप लॉस सीमा के साथ की जाती है।

विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में, विदेशी मुद्रा जोखिम की निगरानी वैकल्पिक रूपये में ऋण की लागत से भी की जाती है। इसके अलावा, ट्रेजरी को सुनिश्चित करना चाहिये कि वह किसी अनिश्चित लेनदेन अथवा ऐसे लेनदेन जिससे कंपनी का रिस्क एक्सपोजर बढ सकता हो, में पड़कर कंपनी के रिस्क एक्सपोजर में वृद्धि न करे।

8.8 dkjiksjsV vfHk'kklu fjiksVZ dh vuqikyu vis{kk,¡

कंपनी ने निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में कार्यपालक, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर शेष सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

8.9 vuqlwph&II ds Hkkx bZ esa fufnZ"V foosdk/khu vis{kkvksa dk vuqikyu

जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट है, कंपनी विवेकाधीन अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की जांच कर रही है।

8.10 MhesV lLiSal ,dkmaV@nkok u fd;s x;s lLiSal ,dkmaV rFkk Hkqxrku@nkok u fd;s x;s ykHkka'k dk vkbZbZih,Q dks varj.k ds lac/k esa [kqyklkA

कंपनी का डीमैट सस्पैंस एकाउंट अथवा दावा न किये गये सस्पैंस एकाउंट में कोई शेयर नहीं है।

8.10.1 uksMy vf/kdkjh

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के अनुपालन में श्री राज कुमार, कंपनी सचिव को आईईपीएफ प्राधिकरण के साथ कोआरडीनेशन के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

8.11 fons'kh fuos'k dh fuxjkuh

सेबी द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों में डिपाजिटरीज द्वारा विदेशी निवेश की सीमाओं की निगरानी के लिये जारी परिपत्र संख्या आईएनडी/एफपीआईसी/सिर/पी/2018/61 दिनांक 05 अप्रैल, 2018 के अनुसरण में कंपनी ने नेशनल स्क्यिुरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को विदेशी निवेश सीमा की निगरानी के लिये नामित डिपाजिटरी नियुक्त किया है।

8.11.1 ukfer vf/kdkjh

विदेशी निवेश सीमाओं की निगरानी के उद्देश्य से कंपनी ने अपने कंपनी सचिव श्री राजकुमार को अपेक्षित विदेशी निवेश जानकारी प्रस्तुत करने के लिये एनएसडीएल वैब इन्टरफेस का आकलन करने और समय समय पर एनएसडीएल के साथ को–आरडीनेशन के लिये नामित अधिकारी नियुक्त किया है।

8.12 çfrHkwfr cktkj ¼flLVe@fjVhkt ekdsZV½ esa flLVe ij vk/kkfjr [kqyklksa dk dk;kZUo;u

सेबी द्वारा सेबी (अधिक मात्रा में शेयरों का अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011 और सेबी (आन्तरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015, के तहत प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह के सिस्टम पर आधारित खुलासों के बारे में जारी परिपत्र संख्या एचओ/सीएफडी/डीसीआर1/सिर/पी/2018/85 दिनांक 28 मई, 2018 के अनुसरण में कंपनी ने सिस्टम पर आधारित खुलासों के कार्यान्वयन के लिये नेशनल सिक्युरिटीज लिमिटेड (एनएसडीएल) को नामित डिपाजिटरी नियुक्त किया है।

8.12.1 ukfer vf/kdkjh

प्रतिभूति बाजार में सिस्टम आधारित खुलासों के उद्देश्य से कंपनी ने सिस्टम आधारित खुलासों के लिये निदेशकों/कर्मचारियों के बारे में सूचना प्रस्तुत करने हेतु एनएसडीएल इश्युअर सर्विस पोर्टल का आकलन करने के लिये अपने कंपनी सचिव श्री राज कुमार को नामित अधिकारी नियुक्त किया है।

8.13 tek

वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के संबंध में कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

9. vuqikyu vf/kdkjh

श्री राज कुमार, कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी हैं।

10. lç"k.k d ek/;e

10.1 frekgh ifj.kke

तिमाही (अन–लेखा परीक्षित लेकिन लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा) तथा ऑडिट कमेटी द्वारा अनुशंसित तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किये जाते हैं।

10.2 lekpkj i= ftuesa ifj.kke çdkf'kr fd;s x;s

2017–18 के लिये तिमाही/वार्षिक परिणाम निम्नलिखित प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये गयेः

lekIr frekgh	çdk'k dh rkjh[k	lekpkj i=
30 जून, 2017	11.08.2017 (अंग्रेजी)	हिन्दुस्तान टाइम्स मिन्ट बिजनेस स्टैंडर्ड, मिलेनियम पोस्ट फॉयनांसियल ऐक्सप्रैस
	(हिन्दी)	हिन्दुस्तान दैनिक भास्कर
30 सितम्बर, 2017	11.11.2017 (अंग्रेजी)	द टाइम्स ऑफ इण्डिया इकानिमक टाइम्स
	(हिन्दी)	नवभारत टाइम्स, दिल्ली/एनसीआर दैनिक जागरण, दिल्ली ट्रिब्यून, दिल्ली/चण्दीगढ पत्रिका, भोपाल
31 दिसम्बर, 2017	01.02.2018 (अंग्रेजी)	हिन्दुस्तान टाइम्स मिन्ट फॉयनॉसियल ऐक्सप्रैस इण्डियन ऐक्सप्रैस द ट्रिब्यून, सभी ऐडीशन मेल टुडे (दिल्ली/एनसीआर) फ्री प्रैस जरनल (मुम्बई/भोपाल) बिजनेस स्टैंडर्ड, दिल्ली
	(हिन्दी)	हिन्दुस्तान जनसत्ता, दिल्ली/एनसीआर
31 मार्च, 2018	03.05.2018 (अंग्रेजी)	द टाइम्स आफ इण्डिया, इकानिमक टाइम्ज, हिन्दुस्तान टाइम्स, मिन्ट, बिजनेस स्टैंडर्ड, दिल्ली/एनसीआर, मिलेनियम पोस्ट, दिल्ली/एनसीआर मेल टुडे, दिल्ली, फ्री प्रैस जरनल, मुम्बई, पॉयनियर, दिल्ली/एनसीआर, द ट्रिब्यून (सभी ऐडीशन)
	(हिन्दी)	दैनिक जागरण, दिल्ली/नोएडा/गाजियाबाद/फरीदाबाद/गुरूग्राम/रिवाडी नवभारत टाइम्स, दिल्ली/एनसीआर हिन्दुस्तान

तिमाही परिणाम कंपनी की आफिषियल वैबसाइट www.nationalfertilizers.com पर भी प्रकाशित किये जाते हैं।

10.3 'k;j/kkfjr iSVu

प्रत्येक तिमाही के अंत में शेयरधारी पैट्रन की सूचना स्टॉक एक्सचेंज को भी दी जाती है और कंपनी की वैबसाइट www.nationalfertilizers.com पर भी उपलब्ध है।

10.4 LVkd ,Dlpsat dks lwpuk

निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन तथा कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना स्टाक ऐक्सचेंजों को दी जाती है।

10.5 fof'k"V ukfer bZ&esy vkbZMh

कंपनी ने निवेशकों के लिये विशिष्ट ई–मेल आईडी investor@nfl.co.in बनाई है।

10.6 vkfQf'k;y lekpkj foKfIr dk çn'kZu

सभी आफिशियल समाचार विज्ञप्तियॉ कंपनी की वैबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं।

10.7 çLrqrhdj.k

संस्थागत निवेशकों अथवा विश्लेषकों को प्रस्तुतीकरण दिये गये

11. lkekU; 'ks;j/kkjd tkudkjh

11.1 dEiuh dk iathdj.k fooj.k

कंपनी दिल्ली राज्य में पंजीकृत है। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कंपनी को पहचान नम्बर (सीआईएन): - L74899DL1974GOI007417. आवंटित किया गया है।

11.2 vkxkeh okf"kZd vke lHkk

दिनांक	27 सितम्बर, 2018
समय	2:30 सायं
स्थान	जोसफ स्टेन आडीटोरियम, इण्डियन हैबिटेट सैन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

11.3 foÙkh; o"kZ % 1 vizSy ls 31 ekpZ rd

11.4 i=kpkj dk irk

पंजीकृत कार्यालयः स्कोप कम्पलैक्स, कोर III, 7, इन्स्टीच्युषनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली– 110003

कारपोरेट कार्यालयः ए–11, सैक्टर–24, नोएडा– 201301

11.5 osc lkbV

शेयरधारियों से संबंधित सूचना जैसे कि वार्शिक रिपोर्ट, तिमाही वित्तीय परिणाम, षेयरहोल्डिग पैट्रन इत्यादि कंपनी की वैबसाइट पर website www.nationalfertilizers.com उपलब्ध हैं द्य

11.6 lEçs"k.k dk fy;s VsyhQksu ua- rFkk bZ&esy fuEukuqlkj gS%

	bZ esy vkbZMh	VsyhQksu ua-	QSDl ua-
पंजीकृत कार्यालय		011-24360066	011-24361553
निवेशक सेवा प्रकोष्ठ	inverstor@nfl.co.in	0120-2412322 PBX:0120-3292201-08	0120-2411132 एवं 0120-2412397
कंपनी सचिव	rajkumar@nfl.co.in	0120-2412322	0120-2411132

11.7 foÙkh; o"kZ 2018&19 dk foÙkh; dSy.Mj

fooj.k	frfFk;k¡
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019
पहली तीन तिमाहियों के अन–लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के बाद 45 दिन के भीतर
चौथी तिमाही के परिणाम	वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद 60 दिनों के भीतर
वार्षिक आम सभा (अगले वर्ष)	सितम्बर, 2019 (अनंतिम)

11.8 iqLrd cUn gksuk

सदस्यता रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक दिनांक 21.09.2018 से 27.09.2018 (दोनों दिन शामिल) बन्द रहेंगी।

11.9 bZ&okfVax

44वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों को इलैक्ट्रानिक तरीके से मतदान देने की सुविधा दी जायेगी और सभा की कार्रवाई नेशनल डिपाजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड के माध्यम से ई–मतदान द्वारा की जा सकती है। ई–मतदान की सुविधा 24 सितम्बर, 2018 (प्रातः 9.00 बजे से) 26 सितम्बर, 2018 (सांय 5.00 बजे तक) उपलब्ध रहेगी।

11.10 ykHkka'k dk Hkqxrku

विभिन्न पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं को देखते हुये निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये लाभांश के भुगतान की घोषणा नहीं की है।

11.11 LV,d ,Dlpsat ij lwphdj.k

कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक ऐक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं:

11.11.1 n ckEcs LV,d ,Dlpsat fyfeVsM ¼ch,lbZ½

uke] irk o lEidZ dk fooj.k	fLd;fjVh dksM	bfDoVh
द बाम्बे स्टॉक ऐक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) पी.जे. टावर्ज, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई – 400001. दूरभाश: 022-22721233/4 फैक्स 022- 22723121 /3719 / 2037/ 2039 ई–मेलस: info@bseindia.com वैबसाइट: www.bseindia.com	523630	इक्विटी

11.11.2 n us'kuy LV,d ,Dlpsat v,Q bf.M;k fyfeVsM ¼,u,lbZ½

uke] irk o lEidZ dk fooj.k	fLd;fjVh dksM	bfDoVh
द नेशनल स्टॉक ऐक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एनएसई) ऐक्सचेंज प्लाजा, प्लाट नं. 1, जी–ब्लाक, बान्द्रा–कुर्ला कम्पलैक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई– 400051 टेलीफोन: 022-26698100-8114 फैक्स: 022- 26598237/38 ईमेल: cc_nse@nsei.co.in	NFL	इक्विटी
बैबसाइट: www.bseindia.com		

11.12 lwphdj.k 'kqYd

2018–19 तक का वार्षिक सूचीकरण शुल्क संबंधित स्टॉक ऐक्सचेंज को दिया जा चुका है।

11.13 ,u,lMh,y rFkk lhMh,l,y dks okf"kZd dLVMh 'kqYd dk Hkqxrku

एनएसडीएल तथा सीडीएसएल में डीमैट आईएसआईएन	INE870D01012

कंपनी वित्त वर्ष 2018–19 के लिये एनएसडीएल तथा सीडीएसएल को वार्षिक कस्टडी शुल्क का भुगतान कर दिया है।

11.14 ckt kj eY; MkVk

बाम्बे स्टॉक ऐक्सचेंज (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक ऐक्सचेंज (एनएसई) पर वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों के मासिक उच्च और न्यून मूल्य निम्नानुसार थे।

11.14.1 ch, l bl

ekg	diuh dk LV,d eY;		rnu:fi ch,lbl lpdkd ¼lUlDl½	
	mPp (₹)	U;u (₹)	mPp	U;u
अप्रैल, 2017	81.60	73.10	30184.22	29241.48
मई, 2017	89.50	78.50	31255.28	29804.12
जून, 2017	83.70	70.70	31522.87	30680.66
जुलाई, 2017	82.95	69.10	32672.66	31017.11
अगस्त, 2017	71.15	62.00	32686.48	31128.02
सितम्बर, 2017	69.65	59.10	32524.11	31081.83
अक्तूबर, 2017	67.25	58.75	33340.17	31440.48
नवम्बर, 2017	67.25	58.55	33865.95	32683.59
दिसम्बर, 2017	74.40	60.20	34137.97	32565.16
जनवरी, 2018	79.65	68.55	36443.98	33703.37
फरवरी, 2018	74.70	55.35	36256.83	33482.81
मार्च, 2018	61.60	51.50	34278.63	32483.84

अंकित मूल्य प्रति शेयर **₹ 10**

11.14.2 ,u,lbl

ekg	diuh dk LV,d eY;		rnu:fi ,u,lbl lpdkd ¼fu¶Vh½	
	mPp (₹)	U;u (₹)	mPp	U;u
अप्रैल, 2017	81.50	73.55	9367.15	9075.15
मई, 2017	89.45	78.20	9649.60	9269.90
जून, 2017	84.00	70.20	9709.30	9448.75
जुलाई, 2017	83.00	69.10	10114.85	9543.55
अगस्त, 2017	71.15	62.10	10137.85	9685.55
सितम्बर, 2017	69.80	58.90	10178.95	9687.55
अक्तूबर, 2017	67.05	58.65	10384.50	9831.05
नवम्बर, 2017	67.30	60.25	10490.45	10094.00
दिसम्बर, 2017	74.50	60.65	10552.40	10033.35
जनवरी, 2018	79.75	68.10	11171.55	10404.65
फरवरी, 2018	74.70	55.10	11117.35	10276.30
मार्च, 2018	61.65	51.20	10525.50	9951.90

अंकित मूल्य प्रति शेयर **₹ 10**

11.15 jftLVkj ,oa 'k;j VklQj ,tl.V

el tl ,e,,l lfofl t fyfeVM	
irk:	Vh&34] nljk ry] vks[kyk bUMLVh;y ,fj;k] Qt& II ubl fnYyh] fiudkM& 110 020
Qksu:	**011-26387281-83**
QDl	**011-26387384**
bl&ey :	**mas_serv@yahoo.com**

11.16 'k;jgkfYMx dk forj.k

31 मार्च, 2018 को विभिन्न प्रकार के शेयरधारियों द्वारा धारित शेयर नीचे दिये गये हैं:

11.16.1 vkdkj d vuqlkj

/kkfjr bfDoVh 'k;jks dh l[;k	'k;j/kkfj;ksa dh l[;k	dqy dh çfr'krrk	/kkfjr 'k;jksa dh l[;k	dqy dh çfr'krrk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 से 5000	44185	81.906	6840225	1.394
5001 से 10000	4943	09.163	4211798	0.859
10001 से 20000	2333	04.325	3685566	0.751
20001 से 30000	1113	02.063	2901854	0.592
30001 से 40000	300	00.556	1087145	0.222
40001 से 50000	305	00.565	1464729	0.299
50001 से 100000	408	00.756	3085276	0.629
100001 एवं से ऊपर	359	00.665	467301807	95.255
dqy	**53946**	**100.00**	**490578400**	**100.00**

11.17 'k;j/kkfjr dk iSVu

	J.kh	/kkfjr 'k;jksa dh l[;k	'k;j/kkfjrk dh çfr'krrk
¼d½	çorZd vkSj çorZd xzqi dh 'k;j/kkfjrk ¼Hkkjr ljdkj½		
I	भारतीय	366,529,532	74.71
II	विदेशी		
	उप जोड (क)	**366,529,532**	**74.71**
(ख)	सार्वजनिक शेयरधारित संस्थागत		
I	संस्थागत	866,04,445	17.66
II	गैर–संस्थागत	374,44,423	7.63
	उप जोड़ (ख)	**124,048,868**	**25.29**
	कुल जोड़	**490,578,400**	**100.00**

टिप्पणीः निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने रिटेल और नान रिटेल निवेशकों के लिये बिक्री प्रस्ताव के माध्यम से 26 तथा 27 जुलाई को कुल शेयर पूंजी का 15 प्रतिशत विनिवेश किया। आज की तारीख में भारत सरकार की होल्डिंग घटकर 74.71 प्रतिशत रह गई है।

11.18 cdk;k thMhvkjt] ,Mhvkjt] okj.V ;k vU; ifjorZuh; bULVªesaV~l vkfn

कंपनी ने ऐसी कोई प्रतिभूतियॉं जारी नहीं की।

11.19 31 ekpZ 2018 dks 'k;jksa d fMeSVfj;ykbts'ku dh fLFkfr

कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से डीमैटीरिएलाइज्ड ढंग से की जाती है। कंपनी ने दोनों डिपाजिटरीज अर्थात नेशनल स्कियुरिटीज डिपाजिटरी सर्विस (इण्डिया) लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सैन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार पर हस्ताक्षर किये हैं। कंपनी निवेशकों को एक साथ हस्तांतरण–कम–डीमेट सुविधा देती है।

11.19.1 31 ekp] 2018 dk fMeVfj;ykbTM vkj Hkkfrd ekM e vk;kftr 'k;jk dh fLFkfr

/kkfjrk dk lk/ku	'k;jk dh l[;k	çfr'krrk
एनएसडीएल	108,305,860	22.0772
सीडीएसएल	381,985,139	77.8642
फिजीकल	287,401	00.0586
dy	**490578400**	**100.00**

11.19.2 'k;j gLrkrj.k ç.kkyh

मान्यता प्राप्त स्टॉक ऐक्सचेंजों के माध्यम से कंपनी के इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग केवल डिमैटीरियेलाइज्ड फार्म में ही की जा सकती है। भौतिक रूप से धारित शेयरों के मामले में, विधिवत पृष्ठांकित हस्तांरित शेयर प्रमाणपत्रों को दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के अन्दर प्रेषित किया जाता है। बशर्ते कि दस्तावेज वैध और हर प्रकार से पूर्ण हों। निदेशक मंडल ने हस्तांतरण/प्रेषण आदि का अनुमोदन करने के लिये शेयर ट्रांसफर समिति को प्राधिकृत किया है। कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 40(9) के अंतर्गत शेयर ट्रांसफर औपचारिकताओं के साथ अपेक्षित अनुपालन का छमाही प्रमाण–पत्र पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त करती है और इसे स्टॉक एक्सचेंजो में फाईल किया जाता है और कंपनी की वैबसाइट www.nationalfertilizers.com पर भी उपलब्ध है।

11.19.3 fQthdy Qke e /kkfjr 'k;j & iu vkj cd [kkr dk fooj.k

सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआइआरएसडी/डीओपी1/सिर/पी/2018/73 दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा है कि जारीकर्ता कंपनियां उनके आरटीएज के माध्यम से फिजिकल फार्म में सिक्युरिटीज रखने वाले सभी सिक्युरिटीज होल्डर्ज से उनके पैन तथा बैंक खाते की प्रतियॉ इकट्ठी करने के लिये विशेष प्रयास करेंगी। कंपनी के आरटीए मैसर्ज एमएएस सर्विसिज लिमिटेड, फिजीकल फार्म में शेयर रखने वाले शेयरधारियों से उनके पैन तथा बैंक खाते का विवरण प्राप्त करने के लिये उनसे अलग से सम्पर्क कर रहे हैं। सभी शेयरधारी, जिनके पास फिजीकल फार्म में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पैन तथा बैंक खाते का विवरण भेजें और शीघ्रातिशीघ्र आरटीए को ई–मेल करें।

11.19.4 fQthdy 'k;jk dk gLrkrj.k

सेबी ने अपनी अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2018/24 दिनांक 08.06.2018 के द्वारा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 40 में एक परन्तुक जोड़ा है जिसमें प्रावधान किया गया है कि सिक्युरिटीज के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजीशन के मामले को छोडकर, सिक्युरिटीज के हस्तांतरण के अनुरोध पर तब तक कार्रवाई नहीं की जायेगी जबतक कि सिक्युरिटीज डिपाजिटरी के पास डीमैटीरियेलाइज्ड फार्म में नहीं रखी जातीं। यह संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के 180वें दिन प्रभावी होगा। तदानुसार, सभी शेयरधारी, जिनके पास फिजीकल फार्म में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों के हस्तांतरण की सुविधा के लिये उस तारीख से पहले उन्हें डीमैटीरियेलाइज्ड फार्म में करवा लें।

11.20 fMikftVjh dk uke o ir

नेशनल स्क्युरिटीज डिपोजिटरी सर्विस (इण्डिया) लिमिटेड (एनएसडीएल)	
पता	ट्रेड वर्ल्ड, चौथी मंजिल, कमाला मिल्ज कंपाउंड, सेनीपति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400 013
सैन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)	
पता	फिरोज जीजीभाई टावर्ज, 28वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई–400 023.

11.21 mRiknu ;fuVk dk LFky

यूरिया उर्वरक, जो कि कंपनी का मुख्य उत्पाद है, के विनिर्माण के लिये कंपनी की उत्पादन सुविधाएं निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:

Øekd	;fuV	LFky
1.	नंगल	नंगल, जिला रोपड, पंजाब-140126. टेली नं..01887-220570, फैक्स नं.01887-220541
2.	बठिण्डा	सिबियां रोड, बठिण्डा, पंजाब–151003 टेली नं..0164-2270261, फैक्स नं.0164-2270463/2760270
3.	पानीपत	गोहाना रोड, पानीपत, हरियाणा-132106 टेली नं.0180-2652481-83,85, 2681304, फैक्स नं.0180-2652515
4.	विजयपुर I एवं II	विजयपुर, जिला गुना, मध्य प्रदेश-473111 टेली नं..07544-273528/529, फैक्स नं.07544-273089/273109

11.22 e|[; dk;ldkjh vf/kdkjh rFkk e|[; foÙk vf/kdkjh çek.khdj.k

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य वित्त अधिकारी, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रणों पर निदेशक मंडल को वार्षिक प्रमाण पत्र देते हैं। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य वित्त अधिकारी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल के समक्ष वित्तीय परिणाम रखते समय वित्तीय परिणामों पर तिमाही प्रमाण पत्र भी देते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा दिया गया वार्षिक प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट में प्रकाशित किया जा रहा है।

11.23 y[kk ijh{kk ,o vkarfjd fu;=.k ç.kkyh

कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) द्वारा नियुक्त लेखा–परीक्षकों द्वारा की जाती है। सरकार की नीति के अनुसार सीएजी भी सरकारी लेखा परीक्षा करते हैं। कंपनी में एक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जिसमें तकनीकी एवं गैर–तकनीकी क्षेत्रों के प्रोफेशनल्ज कार्यरत हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की बाहरी फर्म स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करती है। कंपनी सुनिश्चित करती है कि उसका करोबार विधि, सांविधिक एवं विनियामक अनुपालनों के अनुसार किया जाता है।

12. tkf[ke çc/ku uhfr

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाई है जिसमें कंपनी के सम्मुख आ सकने वाले विभिन्न जोखिमों को शामिल किया गया है। जोखिम प्रबंधन पर तिमाही जोखिम समीक्षा रिपोर्ट निदेशक मंडल तथा ऑडिट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। मुख्य जोखिमों के प्रभाव एवं उनके निवारण के लिये अल्पावधि एवं दीर्घावधि आधार पर की गई कार्रवाई पर निदेशक मंडल एवं ऑडिट कमेटी द्वारा चर्चा की जाती है।

13. dkuuh dk vuikyu

कंपनी सचिव, निदेशक मंडल को प्रत्येक तिमाही में सांविधिक एवं अन्य अनिवार्य कानूनी अनुपालनों से अवगत कराते हैं। निदेशक मंडल को प्रत्येक तिमाही के दौरान विभिन्न सांविधिक अधिकारियों से प्राप्त नोटिसों से भी अवगत कराया जाता है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कंपनी द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

14. lR;fu"Bk le>kSrk

पारदर्शिता एवं अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की वचनबद्धता के साथ, आपकी कंपनी ने ट्रांसपेरेन्सी इन्टरनेशनल के साथ एक सत्यनिष्ठा समझौता किया है। सत्यनिष्ठा समझौता के कार्यान्वयन एवं प्रभावशीलता की निगरानी हेतु स्वच्छ छवि वाले व्यक्तियों को स्वतंत्र बाहरी मानीटर नियुक्त किया गया है ताकि ठेके देने और क्रय संबंधी कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके।

15. vkarfjd 0;kikj grq lafgrk

निदेशक मंडल ने "इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिये आचार संहिता" निर्धारित की है जिसका उद्देश्य अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के आधार पर इनसाइडर द्वारा कंपनी के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकना है। इस आचार संहिता के अंतर्गत इनसाइडरों (कार्यालय और विनिर्दिष्ट कर्मचारी) द्वारा ट्रेडिंग विंडो के बंद रहने के दौरान कंपनी के शेयरों में लेन–देन करना निषिद्ध है। तय सीमा से अधिक प्रतिभूतियों में डील करने के लिये अनुपालन अधिकारी की अनुमति अपेक्षित है। सभी निदेशकों/अधिकारियों/विनिर्दिष्ट कर्मचारियों को आचार संहिता में किये गये उल्लेख के अनुसार समय–समय पर संबंधित सूचनाओं का खुलासा भी करना होता है। इस आचार संहिता के लिये कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है।

16. funs'kd eaMy ds lnL;ksa rFkk ofj"B çca/ku dkfeZdksa ds fy, vkpkj lafgrk

कंपनी ने निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिये आचरण संहिता अपनाई है। इसका उद्देश्य कंपनी के व्यवसाय को नीतिपरक ढंग से तथा जिम्मेदारी, निष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्षिता और ईमानदारी से चलाना है। आचरण संहिता कंपनी की वेबसाइट www.nationalfertilizer.com पर उपलब्ध है। सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचरण संहिता का अनुपालन किया है।

17- ?kks"k.kk

lsch ¼,yvksMhvkj½ fofu;e] 2015 dh vuqlwph V ¼Mh½ ds rgr

यह प्रमाणित करना है कि सेबी (अनुसूची वीजा और घोषणा आवश्यकताओं) विनियम, 2015 की अनुसूची– ट (डी) की आवश्यकताओं के अनुरुप, बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वर्ष 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

¼eukst feJk½
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06408953

18. y[kk ijh{kdk dk vuqikyu çek.k i=

जैसा कि एलओडीआर द्वारा अपेक्षित है, कंपनी के लेखा परीक्षकों मैसर्ज एचडीएसजी एण्ड ऐसोसियेट्स तथा मैसर्ज चन्डोक एण्ड गुलियानी से कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुये प्रमाण पत्र निदेशक रिपोर्ट के साथ संलग्न है जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

19. dkjiksjsV vfHk'kklu lafgrk dk vuqikyu

एनएफल ने विभिन्न कानूनों/विनियमों द्वारा अपेक्षित अधिकतम पारदर्शिता और बैंचमार्क किये गये खुलासों में विश्वास किया है।

लोक उद्यम विभाग ने कारपोरेट अभिशासन दिशा–निर्देश जारी किये हैं जो सभी सरकारी कंपनियों पर लागू होते हैं। यह दिशा–निर्देश विभिन्न क्षेत्रों पर, जैसे कि निदेशक मंडल और इसके उत्तरदायित्व, ऑडिट कमेटी के कामकाज, भूमिका तथा उत्तरदायित्व इत्यादि पर केन्द्रित हैं। कंपनी इन दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में विभिन्न कारपोरेट अभिशासन अनुपालन निर्धारित किये गये हैं। यह अनुपालन 1 दिसम्बर, 2015 से प्रभावी हुये हैं। इससे पूर्व कंपनी सूचीकरण करार की धारा 49 का अनुपालन करती थी। कंपनी, एक नीति के रूप में, कारपोरेट अभिशासन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 तथा डीपीई दिशा–निर्देशों के अधीन निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करती है।

ithd`r dk;kZy;%
स्कोप कम्पलैक्स, कोर–III,
7, इन्स्टीच्युशनल एरिया, लोधी रोड
नई दिल्ली–110003
fnukad % 3 vxLr] 2018

funs'kd eaMy ds fy;s vkSj dh vksj ls

¼eukst feJk½
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 06408953

lch ¼lphdj.k ,o çdVu vi{kk,½ fofu;e] 2015 dh vulph& II d v/khu e[; dk;dkjh vkj e[; foÙkh; vf/kdkjh }kjk çek.khdj.kA

हम, मनोज मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और राजीव कुमार चन्डोक, निदेशक (वित्त) यह प्रमाणित करते हैं किः

क) हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के वित्तीय विवरणों तथा नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा कर ली है
   - i) इन विवरणों में कोई वस्तुगत असत्य विवरण नहीं है या किसी वस्तुगत तथ्य को हटाया नहीं गया है या ऐसा कोई विवरण नहीं है जो भ्रामक हो।
   - ii) ये सभी विवरण कंपनी के कार्यों का सही और उचति दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं।

ख) हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध हो या जिससे कंपनी की आचरण संहित का उल्लंघन होता हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिये आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने तथा उन्हें कायम रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह कि वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी का आंतरिक नियंत्रण सिस्टम प्रभावी है और इन आन्तरिक नियंत्रणों के डिजाइन और आप्रेशन में यदि कोई कमी है, जो हमारी जानकारी में है, तो इसके बारे में हमने लेखा परीक्षकों तथा आडिट कमेटी को बता दिया है और इन कमियों को दूर करने के लिये कदम उठाये हैं।

घ) हमने लेखा परीक्षकों तथ ऑडिट कमेटी को सूचित किया हैः
   1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
   2. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा उनका लेखा टिप्पणियों में खुलासा किया गया है और
   3. हमें 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान घटित ऐसी किसी अर्थपूर्ण धोखाधडी की जानकारी नहीं है जिसमें प्रबंधन अथवा ऐसे कर्मचारी शामिल हो जिनकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

¼jktho dekj pUMkd½
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 05146544

¼eukst feJk½
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएनः 06408953

ith—r dk;ky;%
स्कोप कम्पलैक्स, कोर–III,
7, इन्स्टीच्युशनल एरिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली– 110003.
fnukd% 2 eb] 2018